क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए

12/11/25 पत्रा० पेश हुई। आवि० उप०।
जवाब पेश करने का समय चाहते
है दिया जाता है। पत्रा० मईन्दा
दिनांक 1/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (व्यावर)

17/12/25 पत्रावली पेश हुई। अति० उप०
बहस हेतु 09 RS RIWIS CR पर सुनी जाने।
अगले मुताबे आदेश दिनांक 7/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (व्यावर)

7/1/26 पत्रावली पेश हुई। अति० उप०।
वकील प्रति सं० 2 के द्वारा 09 RS RIWIS CR के
कथन किया कि प्रार्थना पत्र के प्रति सं० 2 उगमराज
के देवाद के पश्चात 022 RJ CR के प्रारूप पर उगमराज
की फोटो सीधारित अस्पष्ट होने प्रति नवीन पारित
के पश्चात पत्नी अमृतकुमारी की तलबी होने वादीगण
की ओर से लम्बित तलबात काफी लम्बे समय से
प्रार्थना नहीं किया गया है बाकी डारत लम्बित तारीख
के बिना लौटाने के पश्चात 7 दिवस तक नये लम्बित
का आदेश करने के वादीगण अनुकूल रहे हैं। बाकी है
काफी लम्बे समय से पश्चात प्रति सं० 2 के नये समन
व तलबात तलबी हेतु प्रस्तुत करने में प्रतिक्षण
अनुकूल रहे हैं। मार्किंग 09 RS CR के वादीगण का
वाद प्रतिवादी सं० 2 उगमराज की फाफण कुमार
के विरुद्ध उपखण्ड न्यायालय जैतारण किये जाने अंकित है
प्रारूप प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का गवाह
प्रति सं० 2 उगमराज के साक्ष्य के विरुद्ध रजिस्ट्रेशन
करवाया जावे।
उभीला नवी के तलबात दरः पेश कर समय
मिलने की पत्र सं० 1 के तहरीर बयान तहत अगले नेशनल
होने से लम्बित करने हैं। वादीगण का यह समय है
कि 022 RJ के प्रारूप पर उगमराज की फाफण कुमार

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (व्यावर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अमृता कुमारी को बनाये जाने के पश्चात तलबी हेतु वादीगण की ओर से आवेदन दिया गया जिसके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जबकि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तलबी की गई पत्र सं. 2 का अवलोकन है कि इस पत्र के माध्यम से संयुक्त संयुक्त होने के आधार पर प्रतिवादी सं 3 लगायत अन्य के परिवार के सदस्य के अमृता कुमारी को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दिया गया है। प्रति. वकील के द्वारा अनुरोध किया है। वादीगण उक्त तलबी हेतु अनुरोध को स्वीकार करने के लिए न्यायालय से आग्रह है। प्रति. वकील के द्वारा उपस्थित नहीं किया है। वादीगण के अधिवक्ता के लिए न्यायालय से आग्रह है प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिए उपस्थित पेश किया है। लेकिन वाद पत्र की उपस्थित नहीं किया है इस लिए वाद भी उपस्थित करने के लिए समय दिया जाकर खारिज करना।

इसके उपरांत उपस्थित, तलबदार एवं तलबी पत्र बहसोपरांत आदेश के संदर्भ में अवलोकन किया। वाद पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत किया। जबकि प्रति. द्वारा उपस्थित आवेदन दिनांक 2001(2) civil court cases sso (Bombay) के संदर्भ में अवलोकन किया। प्रतिवादी के अनुसार वादीगण के वकील द्वारा दिनांक 4/3/21 को रेमी पत्र लिखे गये। वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 4/3/21 को संयोजित शीर्षक एवं तलबाना पेश करने हेतु निर्देश किया गया। उपरांत के वकील वादीगण द्वारा दिनांक 26/8/21 को संयोजित शीर्षक एवं तलबाना पेश किया। पेश किये गये तलबाना के प्रति. को संबंधित तलबी की जारी की गयी। तत्पश्चात कोई प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादीगण द्वारा पेश नहीं की गयी। अतः वादी के अधिवक्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिए उपस्थित पेश किया है। लेकिन वाद पत्र की उपस्थित नहीं किया गया है। इस कारण वाद के संबंधित कार्य नहीं बढ़ पा

झारखण्ड अधिकारी एवं विधिक परामर्श (व्यवहार)

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

रही है) CPC के प्रावधान अनुसार आदेश 0 नियम 5 CPC है " जहां कोई, समन तामिल के बिना लौटने के पश्चात तीन दिन तक नए समन के लिए आवेदन करने के असफल रहता है वहां वाद का खारिज किया जाना।" वर्तमान याचिकाकर्ता उक्त प्रावधानानुसार प्रति: भी नलकी होने समन जेरत करने के विफल रहे हैं) इसलिए प्रति: का प्रयास 09 RS Rule का उल्लंघन किया जाना उचित समझते हैं) उक्त उक्त निर्णय के आलोक में याची का वाद खारिज धारा 09 RS CPC/Rule 15) CPC के वहां समन जमानदिन के जेरत करने के विफल रहने के कारण पालन) आदेश नमकील के खारिज किया जाता है) आदेशिका में निर्णित का भाग माना जाने डिग्री पर हुकम के नाजर तामिल किया जाए) पत्रावली केपल हुजार होने नकल के बाद हो) बाद तमकील जरूरतदारिन को वापस जेरत) आदेश घोषित है)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
जैतारण (ब्यावर)